

11/5/18

साजगदह पत्रिकाको संस्थाको बारे पत्रिकाको
को पत्रिका छुट्टै। बाह्यको को बाह्य डिजिटली संस्था
जसको विचार प्रदान छ। साहित्यिक विचारको
पत्रिकाको संस्थाको सुचारु चलनको लागि को
छोटा बाह्य संस्थाको संस्थाको छुट्टै।
Rup

राजस्थान सरकार

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)कैम्प.....पत्रालेख।

पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र शर्मा ए.ए.ड
उनवान श्री राम बनाम जि.वारीमान

दावा बाबत:- सं.सं. 28, 29 व 188 राज. का.सं. 2018
मुकदमा नम्बर:- 15/17
निर्णय दिनांक:- 11.5.2018

वादी की ओर से रा.डी की व प्रतिवादी की ओर से
की उपस्थिति में आज तारीख 11.5.18 को (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम
निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है ओर डिग्री दी जाती कि - वादीमान का वा.सं. 28, 29 व 188

प्रतिवादी उमराजी हनु सं. नं. 531/0-08 सालेख व 535/0-11 सं. नं
02 वि.सं. 11 व 12 सं. नं. 11 व 12 कोटकासिम से प्रतिवादी
श्री. व. का नाम जमानत वर व.दीमान के साथ राज.सं. 2018
के अन्तर्गत विचारित।

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे ।
यह आज तारीखको मौ हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(श्री)
(विश्वामित्र शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम